राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / 2017 / दिनांकः

–:सीमित निविदा सूचनाः–

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल जयपुर कार्यालय में 04 लिपिक श्रम विभाग की अधिसूचना जुलाई 05, 2016 द्वारा निर्धारित दर एवं शर्तो के अनुसार ऐजेंसी के माध्यम से अनुबंध (06 माह) पर लेने हेतु लिपिक की दर के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव (दर) आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक ऐजेंसी निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तें कार्यालय से प्राप्त / कौंसिल की वैबसाईट www.rajasthanparamedicalcouncil.org से Download कर अपने प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 22.6.17 अपरान्ह 2.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। जिन्हें उसी दिन दिनांक 22.6.17 अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोला जावेगा।

sd/-

रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / 2017 / 1152 दिनांकः 14-06-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रभारी सर्वररूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही RPMC की वेबसाइट पर अपलोड करें।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, जयपुर।
3. मैसर्स... ।
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

निविदा की शर्ते

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि में 04 लिपिक उपलब्ध करवाना होगा। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. श्रम विभाग जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी शर्ते मान्य होगी।
2. अनुबंध प्रारम्भ में 06 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जावेगा।
3. संविदा कार्मिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करता हो साथ ही कम्प्यूटर टंकण, एमएस ऑफिस, ईन्टरनेट आदि कार्य में दक्ष हो।
4. इस कार्यालय द्वारा संविदा कार्मिक (ऐजेन्सी के माध्यम से) को चार दिवस का अवकाश देय होगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिवस की अवधि को बढ़ा सकता है एवं आवश्यकता पडने पर संविदा कार्मिक (ऐजेन्सी के माध्यम से) को अवकाश के दिन बुलाया जा सकता है जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान इस विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा। यदि किसी भी माह में संविदा कार्मिक (ऐजेन्सी के माध्यम से) अनुपस्थित रहता है तो नियमानुसार कटौति की जायेगी।
5. न्यूनतम मजदूरी (मानदेय) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. यदि संविदा कार्मिक (ऐजेन्सी के माध्यम से) संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर अन्य कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में संविदा कार्मिक (ऐजेन्सी के माध्यम से) उपलब्ध नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त किया जा सकेगा।
7. संविदा कार्मिक (ऐजेन्सी के माध्यम से) के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नही किया जावेगा।
8. भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य किये जाने पर वैधानिक कटौतियां टी.डी.एस आदि काटकर चैक/डी.डी. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
9. इस संविदा सेवाओं (ऐजेन्सी के माध्यम से) के संबंध में उत्पन्न हुऐ सभी विवादों के निर्णय का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर के पास सुरक्षित होगा, जिसका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
10. ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये लिपिकों को कार्यालय में आने जाने के तौर तरीके एवं सामान्य नियम (धुम्रपान न करना, सफाई व्यवस्था, गपसप न करना आदि) का ध्यान रखना होगा।
11. दोनों पक्ष (ऐजेन्सी एवं विभाग) भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुबन्ध में वर्णित संविदा सेवाओं से संबंधित समय–समय पर जारी अधिसूचना एवं आदेश मानने के लिए बाध्य होगें।

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)

<u>लिपिक के लिए सीमित बोली प्रपत्र</u>

1. आवेदक एजेंसी का नाम एवं पता ....

   ....

   टेलीफोन /मोबाइल नम्बर ....

2. आवेदक यदि रजिस्टर्ड संस्था है ....

   तो रजिस्ट्रेशन नं. व तिथि ....

   (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया ....

   प्रति संलग्न करे।) ....

3. टिन/पैन नं. ....

   (छाया प्रति संलग्न करें)

4. आवेदक यदि वैट/सर्विस ....

   टैक्स में रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नं. ....

   आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। ....

5. अनुभव (दस्तावेज संलग्न करे) ....

6. लिपिक के लिए मासिक दर (प्रति लि.)..

7. अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व ....

   टेलीफोन नम्बर ....

   (पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे।

8. अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षर निविदादाता

12. ऐजेन्सी द्वारा विभाग की किसी भी सूचना का अन्य व्यक्ति को अपने स्तर से आदान प्रदान नहीं करेगा, ऐसा पाया गया तो उनके विरूध न्यायिक कार्यवाही की जा सकेगी।
13. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

मैं उक्त शर्तो से सहमत हूँ तथा इन शर्तो को मानने के लिए बाध्य हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता